10 8/11

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी व उनके वकील की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आया इसलिये प्रार्थी प्रार्थना-पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली पेश मज शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद दाखल मूल बाद में दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)